



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938

No. 57]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

मेडअप्स पर राज्य लेवियों की छूट दर योजना

सं. 12015/47/2016-आईटी.—रोजगार गहन वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सुधार के उपाय करने के लिए भारत सरकार के निर्णय तथा परिधानों पर राज्य लेवी छूट की नई योजना के अनुमोदन जिसे अब मेडअप्स तक विस्तारित किया गया है, के अनुपालन में वस्त्र मंत्रालय ने छूट तंत्र के माध्यम से मेडअप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट प्रदान करने के लिए इस योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना को मेडअप्स 2017 के निर्यात पर राज्य लेवी की छूट योजना कहा गया है (जिसे इसके पश्चात आरओएसएल योजना कहा गया है)।

2. आरओएसएल योजना की दरों को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 3 के रूप में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है। छूट की दरें कर अथवा इनपुट के किसी संघटक में विभाज्य नहीं हैं और ये केवल ड्रॉ बैक की सभी उद्योग दरों की भांति की गई औसत गणना के आधार पर प्रदान की जाती हैं। यह अधिसूचना 23.03.2017 से लागू होगी।

3. छूट की राशि की गणना एफओबी मूल्य का प्रयोग करके की जाएगी। एआईआर ड्रॉ बैक अथवा एआईआर के अनंतिम सीमा शुल्क के अंश के लिए दावे के साथ ब्रांड दर ड्रॉ बैक के लिए दावे के अंतर्गत निर्यात के लिए दावा किया जाए तो अधिसूचित की जा रही दरों की अनुसूची 3 के कॉलम (4) एवं (5) में दर्शाई गई प्रशुल्क मद की सीमा के साथ छूट की दर का प्रयोग गणना के लिए किया जाएगा।

4. वस्त्र मंत्रालय एतद्वारा मेडअप्स के निर्यात पर राज्य लेवी छूट योजना से संबंधित 03 जनवरी, 2017 की वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी में निम्नलिखित संशोधन भी करती है, नामतः

निम्नलिखित द्वारा पैरा 4.2 प्रतिस्थापित किया जाएगा।

‘4.2 दर और छूट केवल उन निर्यातकों के लिए लागू होगी जिन्होंने कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है और निर्यातकों ने निर्यात किए जा रहे सामानों से संबंधित किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऋण/छूट/पुनर्भूदायगी/प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है अथवा नहीं करेंगे।’

उप खंड 7.2 के पश्चात दावाकर्ता/वसूली और विवाद समाधान द्वारा पुनः भुगतान से संबंधित खंड 7 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

‘7.3 वसूली की क्रियाविधि: सीबीईसी का अधिकारी, आरओएसएल योजना के पैरा 7 के अंतर्गत निर्यातक को एक पत्र जारी करेगा जिसमें

(i) भुगतान की जाने वाली छूट की राशि और उस पर बकाया ब्याज की तारीख की सूचना दी जाएगी और (ii) वस्त्र मंत्रालय के लेखा शीर्ष में 30 दिन के भीतर पूरी राशि जमा करने और उक्त पत्र के जारी होने के 60 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को जमा करने का

प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा और (iii) यह सूचित किया जाएगा कि यदि कोई राशि समाधान किए बिना रह जाएगी तो वस्त्र आयुक्त द्वारा उसकी वसूली की जाएगी।

इस पत्र की एक प्रति वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को भेजी जाएगी।

7.4 जहां निर्यातक की ओर से छूट और/अथवा ब्याज की कोई राशि बकाया रह जाएगी, वस्त्र आयुक्त, निर्यातक की ओर से बकाया राशि निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस राशि की वसूली करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा मानो यह राशि भू-राजस्व का बकाया हो।

7.5 इसके पश्चात योजना से संबंधित उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट मुद्दों पर सचिव, वस्त्र मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

सुब्रत गुप्ता, संयुक्त सचिव

अनुसूची-3

**“मेड-अप वस्त्र मदों के लिए आरओएसएल दरों की अनुसूची”**

टैरिफ मद	मौजूदा ड्रॉबैक अनुसूची के अंतर्गत सामानों की विवरण	यूनिट	ई	
			राज्य लेवियों में छूट	प्रति इकाई छूट की सीमा ( ₹ ) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6301</b>	<b>कंबल एवं ट्रेवलिंग रग्स</b>			
630101	कपास का	किग्रा.	3.90%	31.7
630102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लैंड का	किग्रा.	3.70%	28.7
630103	मानव निर्मित फाइबर का	किग्रा.	2.90%	21.7
630199	ऊन सहित अन्य का	किग्रा.	3.10%	29.1
<b>6302</b>	<b>बेड लिनेन, टेबल लिनेन, टॉयलेट लिनेन, किचन लिनेन</b>			
630201	कपास का	किग्रा.	3.90%	39.0
630202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लैंड का	किग्रा.	3.70%	37.9
630203	मानव निर्मित फाइबर का	किग्रा.	3.80%	49.2
630204	रेशम का (नॉयल रेशम वाले के अतिरिक्त)	किग्रा.	3.90%	208.0
630299	अन्य का	किग्रा.	3.70%	35.5
<b>6303</b>	<b>पर्दे (ड्रेप्स सहित) तथा इंटीरियर ब्लाईड्स; पर्दे अथवा बेड वेलेंसिस</b>			
630301	कपास का	किग्रा.	3.90%	39.0
630302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लैंड का	किग्रा.	3.70%	37.9
630303	मानव निर्मित फाइबर का	किग्रा.	2.90%	37.5
630304	रेशम का (नॉयल रेशम वाले के अतिरिक्त)	किग्रा.	3.90%	208.0
630399	अन्य का	किग्रा.	2.90%	27.8
<b>6304</b>	<b>9404 शीर्ष वालों को छोड़कर अन्य फर्निशिंग वस्तुएं</b>			
630401	कपास का	किग्रा.	3.90%	39.0
630402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लैंड का	किग्रा.	3.70%	37.9
630403	मानव निर्मित फाइबर का	किग्रा.	2.90%	37.5
630404	रेशम का (नॉयल रेशम वाले के अतिरिक्त)	किग्रा.	3.90%	208.0
630499	अन्य का	किग्रा.	2.90%	27.8
<b>6305</b>	<b>सामानों की पैकिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले बोरे और थैले</b>			

630501	फ्लैक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईवीसी)		शून्य	शून्य
630502	हैसेन बैग्स, सैकिंग बैग्स, जूट साँडल सेवर्स आदि सहित पटसन से बने बोरे और थैले	किग्रा.	2.00%	3.2
630599	अन्य	किग्रा.	2.00%	3.2
6306	तिरपाल, शामियाना एवं सनब्लाइंड्स; टैंट; नावों के लिए पाल; सेलबोर्ड्स अथवा लैंडक्राफ्ट; कैंपिंग सामान	किग्रा.	2.00%	10.0
6307	ड्रेस पैटर्न सहित अन्य मेड-अप वस्तुएं			
630701	फैब्रिक के नमूने			
63070101	कपास का		शून्य	शून्य
63070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लैंड का		शून्य	शून्य
63070103	मानव निर्मित फाइबर का		शून्य	शून्य
63070199	अन्य का		शून्य	शून्य
630702	अन्य (फैब्रिक नमूनों के अतिरिक्त)			
63070201	कपास का	किग्रा.	3.90%	39.0
63070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लैंड का	किग्रा.	3.70%	37.9
63070203	मानव निर्मित फाइबर का	किग्रा.	2.90%	37.5
63070204	रेशम का (नॉयल रेशम वाले के अतिरिक्त)	किग्रा.	3.90%	208.0
63070299	अन्य का	किग्रा.	2.90%	27.8

## MINISTRY OF TEXTILES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March 2017

#### RATES FOR REBATE OF STATE LEVIES ON MADE-UPS

**No. 12015/47/2016-IT.**—In pursuance of the decision of the Government of India to initiate measures for reforms to boost employment generation in the employment intensive textile and apparel sector, and approval of a new scheme for remission of State Levies on garments which has now been extended to made-ups, the Ministry of Textiles has notified the scheme to provide for the remission of State levies on export of made-ups through the mechanism of rebate. The scheme is called the **Scheme for Rebate of State Levies on Export of made-ups 2017**. (hereinafter referred to as the **ROSL Scheme**).

2. The rates for the ROSL Scheme are hereby notified as schedule 3 annexed to this notification. The rates of rebate are not divisible into any component of tax or input and are provided only on average basis calculated in a like manner as the All Industry Rates of Drawback. This notification shall come into force with effect from 23<sup>rd</sup> March 2017.

3. The amount of rebate shall be calculated using the FOB value. The rate of rebate with cap for a tariff item as shown in columns (4)&(5) of Schedule 3 of rates being notified shall be applied for calculation when the item has claim for AIR Drawback or export under claim for brand rate drawback with claim for provisional Customs portion of AIR.

4. Ministry of Textiles also hereby makes the following amendments in the Notification of the Ministry of Textiles No.12015/47/2016-IT dated 3<sup>rd</sup> January 2017 regarding Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups, namely-

Para 4.2 shall be replaced by the following:

“4.2 The rate and rebate shall be applicable only to exporters who have constituted an Internal Complaints Committee (ICC) in pursuance of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, and the exporter has not claimed or shall not claim credit/rebate/refund/reimbursement under any other mechanism in respect of the goods being exported”.

In clause 7 relating to repayment by claimant/recovery and dispute resolution after sub clause 7.2 the following shall be inserted:

“7.3 The procedure for recovery: Officer of CBEC shall issue a letter to exporter under Para 7 of ROSL Scheme ; (i) informing the rebate amount to be paid back and the date from which interest thereon is due ,and (ii) requesting the exporter to deposit the full sum within 30 days in the account head of Ministry of Textiles and submit proof of deposit to office of the Textile Commissioner within 60 days of date of issue of the said letter, and (iii) informing that any such amount remaining to be reconciled would be recovered by the Textile Commissioner

A copy of this letter shall be endorsed to the office of the Textile Commissioner.

7.4 Where any amount of rebate and/or interest remains due from the exporter, the Textile Commissioner shall prepare and sign a certificate specifying the amount due from the exporter and send it to the concerned Collector of the district to recover that amount as if it were arrears of land revenue.

7.5 Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by Secretary, Ministry of Textiles whose decision shall be final and binding.”

SUBRATA GUPTA, Jt. Secy.

**SCHEDULE-3**

**“Schedule of ROSL rates for made up textile articles”**

Tariff Item	Description of goods under current Drawback schedule	Unit	E	
			Rebate Rate	Rebate cap per unit in Rs. ( ₹ )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6301</b>	<b>Blankets and traveling rugs</b>			
630101	Of Cotton	Kg	3.90%	31.7
630102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.70%	28.7
630103	Of Man Made Fibres	Kg	2.90%	21.7
630199	Of others, including of wool	Kg	3.10%	29.1
<b>6302</b>	<b>Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen</b>			
630201	Of Cotton	Kg	3.90%	39.0
630202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.70%	37.9
630203	Of Man Made Fibres	Kg	3.80%	49.2
630204	Of Silk (other than containing Noil Silk)	Kg	3.90%	208.0
630299	Of others	Kg	3.70%	35.5
<b>6303</b>	<b>Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances</b>			
630301	Of Cotton	Kg	3.90%	39.0
630302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.70%	37.9
630303	Of Man Made Fibres	Kg	2.90%	37.5
630304	Of Silk (other than containing Noil Silk)	Kg	3.90%	208.0
630399	Of others	Kg	2.90%	27.8
<b>6304</b>	<b>Other furnishing articles, excluding those of heading 9404</b>			
630401	Of Cotton	Kg	3.90%	39.0
630402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.70%	37.9
630403	Of Man Made Fibres	Kg	2.90%	37.5
630404	Of Silk (other than containing Noil Silk)	Kg	3.90%	208.0
630499	Of others	Kg	2.90%	27.8
<b>6305</b>	<b>Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods</b>			
630501	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)		NIL	NIL
630502	Sacks and bags made of jute including hessian bags, sacking bags, jute soil savers etc.	Kg	2.00%	3.2
630599	Others	Kg	2.00%	3.2
<b>6306</b>	<b>Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods</b>	Kg	2.00%	10.0
<b>6307</b>	<b>Other made up articles, including dress patterns</b>			
<b>630701</b>	<b>Fabric Swatches</b>			
63070101	Of Cotton		NIL	NIL
63070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre		NIL	NIL
63070103	Of Man Made Fibres		NIL	NIL

63070199	Of Others		NIL	NIL
<b>630702</b>	<b>Others (excluding fabric swatches)</b>			
63070201	Of Cotton	Kg	3.90%	39.0
63070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.70%	37.9
63070203	Of Man Made Fibres	Kg	2.90%	37.5
63070204	Of Silk (other than containing Noil Silk)	Kg	3.90%	208.0
63070299	Of others	Kg	2.90%	27.8